प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 25.11.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

थाना तिकुनियां पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस सहित 01 नफर अभियुक्त जुगुल किशोर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एंव अवैध शस्त्रों की बिक्री/निर्माण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.11.2022 को थाना तिकुनियां पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त जुगुल किशोर पुत्र फूलचन्द नि0 ग्राम सुथना बरसोला थाना तिकुनियां जनपद खीरी को 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसका चालान माननीय न्यायालय किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

जुगुल किशोर पुत्र फूलचन्द नि0 ग्राम सुथना बरसोला थाना तिकुनियां जनपद खीरी

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 298/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 बलवीर सिंह थाना तिकुनियां जनपद खीरी
कां0 हरिकेश
कां0 संजीव कुमार

<u>थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त मटरू उर्फ धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.11.2022 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 578/22 धारा 376एबी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में 01 नफर वांछित अभियुक्त मटरु उर्फ धर्मेंद्र नि0 समैसा थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

नि0अ0 हरिकेश राय थाना ईसानगर जनपद खीरी
उ0नि0 महेन्द्र प्रताप यादव
मु0आ0 जितेन्द्र सिंह

थाना फरधान पुलिस द्वारा, 550 ग्राम अवैध गांजा बरामद करके अभियुक्त अन्नू पुत्र ज्ञानचन्द को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन मे जनपद में अवैध मादक पदार्थ की विक्री का विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही के पर्यप्रेक्ष्य मे व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के मार्गदर्शन मे चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे आज दिनांक 25.11.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा अभि0 अन्नू पुत्र ज्ञानचन्द नि0ग्राम सोनबत्रा थाना छावनी जिला बस्ती उ0प्र0 को एक थैले में 550 ग्राम अवैध गांजा के साथ पकड़ लिया। जिसके सम्बन्ध मे थाना फरधान पर मु0अ0सं0 0530/2022 धारा 8/20 NDPS Act थाना फरधान जिला खीरी बनाम अभियुक्त अन्नू पुत्र ज्ञानचन्द नि0ग्राम सोनबत्रा थाना छावनी जिला बस्ती उ0प्र0 पंजीकृत किया गया।

बरामदगी माल

अवैध नाजायज गाजा 550 ग्राम सील सर्व मोहर मय नमूना मोहर ।

गिरफ्तारी का स्थान -

गौरिया तिराहा बेहजम रोड बह्दग्राम गौरिया थाना फरधान जिला खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 देवकरन शर्मा
2. हे0का0 अरविन्द कुमार सिंह
3. का0 सुन्दर सिंह

<u>जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत की गई कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में, यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत डग्गामार वाहन, बिना परमिट बिना फिटनेस ओवरलोड सवारी, तीन सवारी, बिना हेलमेट एवं बिना प्रदूषण के वाहन चलाने पर मोहम्मदी बायपास चौराहा गोला, सिकंदराबाद चौराहा पर संयुक्त रुप से यातायात पुलिस एवं एआरटीओ श्री रमेश कुमार चौबे प्रभारी यातायात निर्मल जीत यादव आरक्षी यातायात बीवन राज, पंकज वर्मा, सत्य प्रकाश द्वारा चेकिंग की गई एवं रानी लक्ष्मी बाई कन्या इंटर कॉलेज शहाबुद्दीनपुर थाना क्षेत्र हैदराबाद में यातायात जागरूकता के संबंध में निरीक्षक श्री शशि कुमार यादव कोतवाली हैदराबाद प्रधानाचार्य श्री सर्वेश वर्मा एवं शिक्षक गणो की मौजूदगी में 750 छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में यातायात संगीत एवं पंपलेट देकर जानकारी एवं जागरूक किया गया एवं यातायात नियमों के पालन करने हेतु शपथ दिलाई गई तथा बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना है दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें स्कूल जाते समय हमेशा अपने बांई ओर चलें, घर से 10 मिनट पहले चलें, उतावलेपन में ना चलें, वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गति में चलाएं, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टंट बाइकिंग से बचे, काली फिल्म, मॉडिफाई साइलेंसर, हूटर, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें, गलत दिशा में ना चलें। इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि ना खड़ा करें, ट्रैक्टर ट्रॉली, लोडर पिकअप पर यात्रा न करें।

यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कुल 190 वाहनों का चालान व 06 वाहन सीज किए गए हैं।

<u>बाल श्रम अभियान/ बचपन बचाओ आंदोलन के क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी शहर व ओयल थाना खीरी में स्थित होटल , कारखाना ऑटो पार्ट्स एवं दुकानों की चेकिंग की गई। साथ ही मानव तस्करी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित जागरूकता अभियान में लोगों को जागरूक किया गया</u>

आज दिनांक 25.11.2022 को उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे बाल श्रम/ बचपन बचाओ आन्दोलन के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में ए0एच0टी0यू0 में नियुक्त प्रभारी निरीक्षक जैनेंद्र कुमार कर्मचारीगण , का0 राजेश यादव संयुक्त टीम श्रम प्रवर्तन अधिकारीगण संतोष त्रिपाठी , व चाइल्ड लाइन से जिला समन्वयक संतोष राजवंशी, सचिन बचाओ एनजीओ राजबहादुर व इंद्रजीत पटेल द्वारा खीरी में संचालित ढ़ाबा, कारखाना, ऑटो पार्ट्स/ एजेन्सी, दुकानों की चेकिंग की गयी तथा मालिकों को हिदायत दी गयी कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर न रखा जाए । चेकिंग के दौरान बाल श्रम कराते हुए 04 नाबालिग बच्चे पाए गए । जिनमें दो बच्चों जो 14 साल से कम थे उन्हें सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्हें चाइल्ड चाइल्ड लाइन को आयु परीक्षण हेतु सुपुर्द किया गया और दो बच्चे लगभग 14 से ज्यादा है इनके दुकान मालिकों के विरुद्ध श्रम विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

<u>थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त विक्रमादित्य को गिरफ्तार किया गया एवं साथ ही एक अन्य अभियोग में 01 नफर वारंटी अभियुक्त ध्रुव कुमार को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.11.22 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 401/22 धारा 406/419/420 भादवि में वांछित अभियुक्त विक्रमादित्य पुत्र श्रीराम नि0 ग्राम सिसांवा खुर्द थाना हैदराबाद जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अ0सं0 1149/08 धारा 307/323/324 भादवि में वारंटी अभियुक्त ध्रुव कुमार पुत्र लक्ष्मन प्रसाद नि0 ग्राम बघमरा थाना हैदराबाद जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण-</u>
विक्रमादित्य पुत्र श्रीराम नि0 ग्राम सिसांवा खुर्द थाना हैदराबाद जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का विवरण-</u>
ध्रुव कुमार पुत्र लक्ष्मन प्रसाद नि0 ग्राम बघमरा थाना हैदराबाद जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
1-उ0नि0 कुलदीप सिंह
2-का0 रवि खुराना
3-का0 सिकन्दर यादव

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को 52 अदद ताश के पत्तें व कुल 1360/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 1388/22 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

<u>वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी</u>

1. थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, अ0सं0 564/22 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त हिमांशू पुत्र भानूप्रताप निवासी सैदीपुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, अ0सं0 1072/22 धारा 394 भादवि में वांछित अभियुक्त दीपक पुत्र प्रितम सिंह निवासी जोशीटोला थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

3. थाना खीरी पुलिस द्वारा, अ0सं0 541/22 धारा 498A/304B भादवि B 3/4 डी0पी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त अरविन्द पुत्र किशोर थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

4. थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, अ0सं0 349/16 धारा 4/10 G.T. Act में वारण्टी अभियुक्त कमलेश पुत्र रामभरोसे निवासी मूलनपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

5. थाना मितौली पुलिस द्वारा, अ0सं0 8273/21 धारा 60 Ex Act में वारण्टी अभियुक्त जगतराम पुत्र लालराम निवासी समेसेपुर थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

6. थाना मितौली पुलिस द्वारा, अ0सं0 999/10 धारा 323/504/436 भादवि में वारण्टी अभियुक्त कल्लू पुत्र केदारपासी निवासी नगरागढी थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

7. थाना मितौली पुलिस द्वारा, अ0सं0 3454/20 धारा 498A/323/504 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट में वारण्टी अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र गुरूचरन निवासी पतरा थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 195 लीटर अवैध शराब बरामद कर 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **195 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **04 शराब भट्टी** बरामद कर **12 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **11 अभियोग** पंजीकृत किए गए।